राजस्थान सरकार

न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 45/2025 आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

1. प्रभुलाल पिता भैरूलाल तेली निवासी थलखुर्द तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुन सिंह पिता मानसिंह राजपूत निवासी काछोला तहसील काछोला जिला भीलवाडा।
2. प्रबंधक, एसबीआई काछोला।
3. राजस्थान राज्य जरिए उपंजीयक/तहसीलदार काछोला जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्तीकरण नियम 1970

उपस्थित —

1. श्री श्यामलाल गुर्जर, अधिवक्ता — प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, विपक्षी—3 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 05/02/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षीगण के प्रेषित कर निवेदन किया कि भू—आवंटन सलाहकार समिति ने ग्राम थलखुर्द तहसील माण्डलगढ में आराजी खसरा संख्या 294 रकबा 1.12 बीघा का विपक्षी—1 को विधि विरूद्ध आवंटन किया गया जो निरस्त योग्य है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी में किस्म बमद भटभेड़ दर्ज होकर कृषि प्रयोजन के लिए आवंटन योग्य नहीं है। आराजी खसरा संख्या—294 के संस्पर्षी नंबर 295 व 296 होकर प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारों से राजस्व अभिलेख में दर्ज रेकॉर्ड होकर उपयोग उपभोग में है। आराजी खसरा संख्या 294 रकबा 1.12 बीघा में प्रार्थीगण अपने आवासीय बाड़ा व पशु बाधने के रूप में ले रहा है जिस पर वर्तमान में विपक्षी का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 1 को उक्त आवंटन 1992 में विधि विरूद्ध हुआ था। आराजी खसरा संख्या 294 में प्रार्थीगण के स्व० पिता भैरू पिता लक्ष्मण तेली

5.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निवासी थलखुर्द को ग्राम पंचायत राजगढ ने पट्टा संख्या 32 पत्रावली संख्या 23/07.09.1967 को 115बाई65 गज अर्थात 230बाई130 फीट का भूखण्ड आवासीय प्रयोजन हेतु बापी पट्टा दिनांक 02.10.1967 को जारी किया। स्व0 पिता भैरू जी ने इंदिरा आवास योजना के तहत पक्का निर्माण कराया। पटटा जारी करने की तिथि से ही प्रार्थी के स्व पिता द्वारा आवासीय बाडा निर्माण व पशु बांधे जाकर उपयोग उभोग में है। विपक्षी संख्या 1 को आवंटन की गई कृषि भूमि पर मौके पर चार आवासीय मकान व अन्य मवेषियों को बान्धने हेतु बाड़े बने हुए है। आवंटन के प्रथम वर्ष आवंटित भूमि के 1/2 हिस्से पर काश्त किया जाना नियमों के तहत आवश्यक है किन्तु यहां भी आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। प्रार्थीगण गत 50 वर्षों से भी अपने पिता व दादा के जीवनकाल से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं।

निवेदन है कि विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 23.05.1992 को कृषि प्रयोजन के लिए खसरा संख्या 294 रकबा 1.12 बीघा अर्थात 0.2590 हैक्टे० भूमि को निरस्त किया जाकर सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज कराने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी 3 तहसीलदार काछोला का जवाब प्राप्त।

विपक्षी 3 तहसीलदार काछोला द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार जमाबन्दी ग्राम थलखुर्द सम्वत् 2046 से 2049 में खाता सं 1 में खसरा संख्या 294 रकबा 1 बीघा 12 बीस्वा किस्म भटभेड दर्ज रिकॉर्ड थी। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, माण्डलगढ़ द्वारा मिसल संख्या 195/92 दिनांक 25.06.1992 से ग्राम थलखुर्द के आराजी नम्बर 294 रकबा एक बीघा बारह बिस्वा अर्जुन सिंह पिता मानसिंह राजपूत को आवंटन हुई जो ग्राम थलखुर्द के नामा. 243 दिनांक 13.7.1992 से गैर खातेदारी दर्ज हुई। आवंटन आदेश व नामांतरण में भूमि किस्म बारानी 3 दर्ज है। आवंटन आदेश में भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुई। यह भूमि आवंटन से पूर्व खाता सं में 'केवल चराई भूमि गैर काबिल कास्त भटभेड़' दर्ज है। खसरा न. 294, खसरा नं. 295, 296 से सटा हुआ है। खसरा नं. 294 रकबा 1.12 बीघा भूमि की मौका स्थिति का पटवारी मौका पर्चा संलग्न है। वर्तमान में विपक्षी स 1 अर्जुन सिंह पिता मानसिंह राजपूत का मौके पर सात बिस्वा भूमि पर कब्जा है, शेष भूमि एक बीघा पांच बिस्वा पर प्रभू पिता भैरू तेली निवासी थलखुर्द का कब्जा है। पूर्व में की गई पत्थर गढ़ी का मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति संलग्न है एवं कब्जे बाबत् मौका पर्चा प्रति वास्ते अवलोकन संलग्न है। आवंटी द्वारा आवंटन आदेशानुसार काश्त नहीं करने मौके पर

5.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आंशिक कब्जा होने से आवंटन शर्तों की पालना नहीं किए जाने से आवंटन खारिज किया जाना उचित है।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी गई। उपलब्ध दस्तावेजों व बहस पर मनन उपरान्त यह पाया गया कि उक्त आवंटन में आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किए जाने से उक्त आवंटन निरस्त किया जाना उचित ठहरता है। अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का **स्वीकार** कर विपक्षी–1 के नाम ग्राम थलखुर्द में आवंटित खसरा संख्या 294 रकबा 1.12 बीघा अर्थात 0.2590 हैक्टे० भूमि निरस्त किया जाता हैं एवं **तहसीलदार काछोला** को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति **तहसीलदार काछोला** को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा